various products, the range and quantum of exemptions from duty granted and the volume of exports of excisable goods, the increase in the production of excisable goods which are cleared for home consumption on payment of duty will be reflected in the revenue of Central Excise from such production.

The figure given below, of the revenue collected during the last 3 financial years in the Central Excise Collectorates of Delhi, Chandigarh, Jaipur, Meerut, Kanpur and Allahabad whose jurisdictions taken together covers the territories of the State of U.P. Punjab Haryana, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Rajasthan and Union Territories of Delhi and Chandigarh, do not show any fall :—

	Rs. in crores
1980-81	1053.08
1979-80	1071.90
1981-82	1260.03

(c) and (d) In view of (a) and (b) above, does not arise.

Evaluation of Impact of Tax Concessions on Revenue Receipts

7487. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Companies could generally get away without paying any tax by availing themselves of the tax reliefs and concessions ;

(b) whether any assessment or evaluation has been made on the impact of the various tax reliefs and concessions on the revenue receipts of the Government during the last five years ;

(c) if so, the findings thereof ;

(d) whether any assessment has been made about the fulfilment of the objects for which such reliefs and concessions were provided ; and

(e) if so, the findings thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): (a) Yes, Sir. It is a fact that because of certain tax concessions allowed under the Income-tax Act, some highly profitable companies with a growth-track record have not paid any income-tax or have paid a relatively small proportion of their profits as income-tax for some assessment years.

(b) while an estimate of the revenue loss is made when any new tax incentive is proposed by the Government, an assessment or evaluation of the overall impact of all the tax reliefs and concessions allowed under the law on the revenue receipts of the Government during the last five years has not been made.

(c) Does not arise.

(d) and (e) the tax reliefs and concessions allowed under the law are reviewed periodically, particularly in connection with the budgetary exercises, and the results of the review are reflected in the proposals contained in the annual Finance Bills.

उत्तर प्रदेश में समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए लाभार्थियों को ऋण

7488. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए लाभार्थियों को बैंक अपेक्षित ऋण नहीं दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन जिलों के नाम क्या है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के उद्देश्यों और उपलब्धियों के बीच वर्तमान अन्तर को दूर करने में बैंकों का आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके, उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस कार्यक्रम में पिछड़ेपन का ठीक-ठीक पता लगाने और इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने की कार्रवाई के उद्देश्य से कार्यक्रम की जिलेवार निगरानी रखने का कार्य, मुख्य रूप से, जिले/राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यक बैंकों के कार्य-निष्पादन से संबंधित समस्याओं को भारत सरकार के नोटिस में लाया जाता है, जैसा कि समग्र अथवा जिले-वार बैंक-वार कार्य-निष्पादन के विश्लेषण के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था।

सरकार, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने की आवश्यकता की ओर सचेष्ट है और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को यह सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से अपनी शाखाओं के कार्य-निष्पादन पर नजर रखें और प्रायोजित आवेदनों के शीघ्रता से निपटान किये जाने की ओर ध्यान दें एवं जिला अधिकारियों के साथ सहयोग करें। समन्वयन की कठिनाईयों को दूर करने तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रफ्तार में तेजी लाने के लिए बैंकों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य-स्तर पर बैठकें आयोजित की गई हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान, उत्तर प्रदेश में अनन्तिम सूचना के अनुसार इस कार्यक्रम के अधीन फरवरी 1983 तक 3,32,978 हिताधिकारी परिवारों को सहायता प्रदान की गई - इसमें 109.58 करोड़ रुपये के सांविध ऋण अन्तर्ग्रस्त थे।

उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

7489. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982-83 के दौरान स्टेट बैंक की खोली गई नई शाखाओं की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितनी शाखायें अल्मोड़ा और पिथौरीगढ़ जिलों में खोली गई है ; और

(ख) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर सरकार के नाम क्या हैं जहां पर सरकार का विचार 1983-84 में विभिन्न राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंकों की शाखाएं खोलने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उम-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हाल ही की उपलब्ध सूचना के अनुसार, कैलेण्डर वर्ष 1982 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने उत्तर प्रदेश में 29 शाखाएं खोली थीं। इनमें से दो शाखाएं अल्मोड़ा जिले में अवस्थित थीं और एक पिथौरागढ़ जिले में।

(ख) दिसम्बर, 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में शाखाएं खोलने के वास्ते वाणिज्यक बैंकों के पास 22 प्राधिकृतियां मौजूद थीं। इनके केन्द्रवार और बैंकवार ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गए हैं। बैंकों को इन प्राधिकृतियों के अविलम्ब उपयोग करने की सलाह दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में उन स्थानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जिनके लिए बैंकों के पास शाखाएं खोलने के वास्ते प्राधिकृतियां मौजूद हैं।

दिसम्बर, 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार

जिला	केन्द्र	प्राधिकृति धारी बैंक का नाम
1	2	3
अल्मोड़ा	1. मोहन	भारतीय स्टेट बैंक
	2. माजखाली	तदेव
	3. जलाली	तदेव
	4. जांती	तदेव
	5. डौलीघाट	तदेव